न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर

रेफरेन्स प्रार्थना प्रकरण संख्या – 75/2022

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती आशा पुत्री श्री मोहन निवासी मियापुर
2– श्रीमती कर्मा देवी पत्नि श्री मोहन नि0 मियापुर
3– श्री पीरू पुत्र श्री लादू नि0 मियापुर
4– श्री बन्ना पुत्र श्री लादू नि0 मियापुर
5– श्री बलवीर पुत्र श्री मोहन नि0 मियापुर
6– श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री मोहन नि0 मियापुर
7– श्री विजय सिंह पुत्र श्री मोहन समस्त जातिगण रावत निवासी ग्राम मियापुर, तहसील व जिला अजमेर
8– भू–प्रबन्ध विभाग अजमेर
9– श्री पांचू पुत्र श्री श्योजी जाति रावत निवासी ग्राम मियापुर, तहसील व जिला अजमेर .....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री ओमप्रकाश गुर्जर ऐडवोकेट राजकीय अभिभाषक
श्री रूपक शर्मा ऐडवोकेट अप्रार्थी 9

आदेश

दिनांक –14.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मियापुर तहसील व जिला अजमेर के खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.09 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता नवीन रेकार्ड संधारण में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मुर्तीब की गई। जबकि उक्त हाल खसरा नम्बर के पेरा संख्या 2 में उल्लेखित साबिक खसरा नम्बरान की किस्म गत रेकार्ड अनुसार बारानी 1 व बारानी 2 दर्ज है। प्रकरण के सम्बन्ध में पटवारी हल्का मियापुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नम्बर 1225 के मौके पर कोई रास्ता नहीं है। प्रकरण में उक्त आराजी की गत रेकार्ड में दर्ज किस्म बारानी 1 बारानी 2 के बजाय नवीन रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिये जाने के कारण हाल रेकार्ड में पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी की किस्म शुद्वि आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामील हेतु भिजवाये गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर । अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से श्री रूपक शर्मा अभिभाषक उपस्थित आए । सुनवाई हेतु अप्रार्थी 1 लगायत 8 उपस्थित नहीं होने पर पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी 9 के अधिवक्ता को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम मियापुर तहसील व जिला अजमेर के हाल राजस्व रेकार्ड अनुसार खातेदारी खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.09 हैक्टर की किस्म गै.मु. रास्ता खातेदारान पॉचू पुत्र श्योजी, पीरू, बन्ना पुत्रगण लादू, बलवीर, विजयसिंह पुत्रगण मोहन, आशा, कर्मा पुत्रियॉ मोहन जाति रावत के नाम दर्ज

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

है। हाल खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.09 है के मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बरान 698 मि 0.03 किस्म बारानी–1, 700 मि रकबा 0.02, बारानी 1, 701 मि रकबा 0.01 बारानी 1, 704 मि0 रकबा 0.01, बारानी 1, व 787 मि0 रकबा 0.02 बारानी 2 का आंशिक भाग है, तथा गत रेकार्ड वर्किंग जमाबंदी के अनुसार उक्त साबिक खसरा नम्बरान की किस्म बारानी 1 व बारानी 2 दर्ज हे। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बन्दोबस्त कार्यवाही से तैयार नवीन रेकार्ड में उपरोक्तानुसार गत खसरा नम्बरान के आंशिक भाग को शामिल कर बनाये गये नवीन खसरा नम्बर की 1225 की किस्म बारानी–1 व बारानी 2 के बजाय गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दी गई। हाल खसरा नम्बर 1225 की किस्म की दुरूस्ती गत वर्किंग रेकार्ड में दर्ज साबिक खसरा नम्बर 698, 700, 701, 704, व 787 की किस्म बारानी 1 व बारानी के अनुसार करवाने हेतु खातेदार श्री पॉचू पुत्र श्योजी जाति रावत द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय के समक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2022 अन्तर्गत धारा 136 रा.भू. रा.अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 20.05.2022 को प्रस्तुत किया गया । माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2022 में दिनांक 23.08.2022 को पारित निर्णय अनुसार प्रकरण में रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 से 84 के सुसंगत प्रावधान के अनुसार भूमि किस्म का निर्धारण भू–प्रबंध संक्रियाएं बंद होने के पश्चात किस्म परिवर्तन का अधिकार राजस्व अधिकारियों को प्राप्त न होकर माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय में शंक्तियां निहित होने उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र आशिक स्वीकार कर रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत सक्षम न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स की कार्यवाही बाबत निर्देशित किया गया है। अतः ग्राम मियापुर तहसील व जिला अजमेर के खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.09 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता नवीन रेकार्ड संधारण में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मुर्तीब की गई। जबकि उक्त हाल खसरा नम्बर के पेरा संख्या 2 में उल्लेखित साबिक खसरा नम्बरान की किस्म गत रेकार्ड अनुसार बारानी 1 व बारानी 2 दर्ज है। प्रकरण के सम्बन्ध में पटवारी हल्का मियापुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नम्बर 1225 के मौके पर कोई रास्ता नहीं है। प्रकरण में उक्त आराजी की गत रेकार्ड में दर्ज किस्म बारानी 1 बारानी 2 के बजाय नवीन रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिये जाने के कारण हाल रेकार्ड में पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी की किस्म शुद्वि आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अप्रार्थी 9 अभिभाषक ने अपने जवाब में प्रस्तुत अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष पांचू पुत्र श्योजी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत विरूद्व सरकार एवं शेष अप्रार्थीगण के विरूद्व यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि पांचू एवं शेष अप्रार्थीगण की शामलाती आराजी ग्राम मियापुर पटवार हलका मियांपुर भू.अ. निरीक्षक क्षैत्र तबीजी तहसील व जिला अजमेर में स्थित जिनके खाता संख्या नया व पुराना 133 है तथा खसरा नं0 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1225, 1226, 1127, 2131, 2137, 837, 838, 839, 840, 850, 851, 852 है सभी खसरे पांचू तथा शेष अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है जो उनके पूर्वजो से पीढी उनके नाम चली आ रही है। पक्षकारान पांचू तथा शेष अप्रार्थीगण के मध्य कोई विवाद नही है किन्तु खसरा नं0 1225 रकबा 0.0900 गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया गया है जिसकी कोई जानकारी पक्षकारान को नही थी पटवार

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

हल्का से पटवारी से जब पक्षकारान मिले तब उन्हें जानकारी हुई कि खसरा नं0 1225 को गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया है जबकि वास्तविकता यह है कि खसरा नं0 1225 के पूर्व में सम्वत 2041की वर्किंग जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 698, 700, 701, 704, 767 अंकित चले आ रहे थे जिनकी किस्म चाही व बारानी दर्ज थी उक्त खसरा नम्बरान को जोडकर नया खसरा नं0 1225 बना जिसकी किस्म बिना किसी आदेश के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दी गई जो प्रारम्भतः शून्य व निष्प्रभावी है । उपखण्ड अधिकारी महोदय ने प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र को दर्ज किया और माननीय सरकार से जवाब/मौका रिपोर्ट तलब की जिसमें दिनांक 7.6.2022 को सरकार के जवाब/मौका पर्चा में यह स्पष्ट कथन आये कि खसरा नं0 1225 के पूर्व खसरा नम्बर 698, 700, 701, 704, 787 थे जिनकी किस्म बारानी 1 व 2 थी ओर हाल खसरा नम्बर 1225 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हुई है अतः किस्म दुरूस्ती गत रिकार्ड अनुसार किये जाने हेतु अनुशंषा उचित प्रतीत होती है। उपरोक्त समस्त तथ्य जवाब राजस्व रेकार्ड माननीय उपखण्ड अधिकारी जी के समक्ष पत्रावली पर मौजूद थे किन्तु उन्होनें बिना अपने न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करे ही अपने निर्णय दिनांक 23.08.2022 में यह कथन किये कि पक्षकार पांचू द्वारा जो प्रार्थना पत्र किस्म दुरूस्ती बाबत पेश किया गया है उक्त किस्म दुरूस्ती प्रार्थना पत्र को बतौर रेफरेन्स बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अतः पक्षकार पांचू पुत्र श्री श्योजी द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार कर प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी महोदय को निर्देशित किया जावे कि वे विधिवत रूप से अपना निर्णय उपलब्ध साक्ष्य, सबूतो, मौका पर्चा के आधार पर पारित करे।

हमने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी संबधित तहसीलदार उक्त प्रकरण विवादित आराजियात ग्राम मियापुर तहसील अजमेर में अवस्थित खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.09 हैक्टर बाबत किस्म गैर मु0 रास्ता के स्थान पर किस्म बारानीं को दुरूस्त हेतु उक्त प्रकरण हाजा न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जबकि विधि अनुसार हाजा न्यायालय को इस धारा के अन्तर्गत ऐसे प्रकरण की सुनवाई की जाकर प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को निर्देशित कर भिजवाये जाने की शक्तियॉ निहीत है उक्त प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण रेफरेन्स की परिधि में नही आता है । तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण के माध्यम से विवादित आराजियात बाबत किस्म गैर मु0 रास्ते से किस्म बारानी परिवर्तन करवाना चाहा है जो की उक्त प्रकरण के माध्यम से किया जाना विधि अनुकूल प्रतित नही होने से उक्त प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। साथ ही सबंधित तहसीलदार अजमेर को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे विवादित आराजियात बाबत सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार प्रकरण प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करे ।

आदेश आज दिनांक 14.02.2024 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर,
अजमेर